भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-783

दिनांक 23 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विद्युत की खराब गुणवत्ता

783. श्री जिया उर रहमान:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बार-बार बिजली कटौती, अपर्याप्त पारेषण अवसरंचना और विद्युत की खराब गुणवत्ता से अवगत है;

(ख) यदि हाँ, तो इस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति, पारेषण और वितरण में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अन्य हिस्सों में भी विद्युत क्षेत्र से जुड़ी इसी तरह की समस्याएं व्याप्त हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो विश्वसनीय और किफायती विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) :

1. देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 548.86 गीगावाट (जून, 2026 तक) है। देश ने अप्रैल, 2014 से 324.7 गीगावाट उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से विद्युत की पर्याप्तता में बदल गया है। इसके अलावा**,** 2014 से 2,18,267 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें**,** 9,47,405 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 84,390 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता जोड़ी गई है। कुल अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता 1,20,340 मेगावाट हो गई है**,** जिससे सभी क्षेत्रों में विद्युत का विश्वसनीय अंतरण संभव हुआ है।

2. पिछले चार वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 (जून, 2026 तक) के दौरान देश और उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के संदर्भ में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया

है। आपूर्तित ऊर्जा, ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप रही है, जिसमें केवल मामूली अंतर है, जो आम तौर पर राज्य के पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होता है।

3. जैसा कि उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीएल) द्वारा सूचित किया गया है, मांग को पूरा करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पर्याप्त पारेषण अवसंरचना का प्रावधान है। यूपीपीटीएल द्वारा गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा, जैसा कि राज्य द्वारा सूचित किया गया है, आपूर्ति विवरण के औसत दैनिक घंटों का विवरण **अनुबंध-II** पर संलग्न है।

4. विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण,विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/यूटिलिटी की जिम्मेदारी है। इसलिए, उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना संबंधित यूटिलिटी की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

सरकार ने सभी क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

4.1 उत्पादन और भंडारण आयोजना:

(i) राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन क्षमता अनुमानित अधिकतम मांग से अधिक रहे, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएं (आरएपी)" तैयार की हैं, जो गतिशील 10-वर्षीय रोलिंग योजनाएं हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत क्रय योजना भी शामिल है।

(ii) सभी राज्यों को सलाह दी गई कि वे अपनी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमताएं बनाने/अनुबंधित करने की प्रक्रिया शुरू करें।

(iii) विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता वृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है:

(क) तापीय क्षमता में वृद्धि: वर्ष 2035-36 तक अनुमानित तापीय (कोयला और लिग्नाइट) क्षमता की आवश्यकता दिनांक 31.03.2023 को 2,11,855 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की तुलना में लगभग 3,15,000 मेगावाट अनुमानित है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने न्यूनतम 1,05,000 मेगावाट अतिरिक्त कोयला और लिग्नाइट आधारित तापीय क्षमता संस्थापित करने की परिकल्पना की है।

इसके अलावा, निम्नलिखित पहलें भी की गई हैं: -

अप्रैल 2023 से दिनांक 30.06.2026 तक लगभग 21,080 मेगावाट की तापीय क्षमताएं कमीशन की गई हैं। इसके अलावा, वर्तमान में 47,545 मेगावाट की तापीय क्षमता (4,845 मेगावाट की संकटग्रस्त तापीय ऊर्जा परियोजनाओं की सहित) निर्माणाधीन है। 16,000 मेगावाट के अनुबंध अवार्ड किए गए हैं और निर्माण किया जाना बाकी है। साथ ही, 22,760 मेगावाट की कोयला और लिग्नाइट आधारित कैंडिडैट कैपेसिटी क्षमता की पहचान की गई है जो देश में आयोजना के विभिन्न चरणों में है।

(ख) जल विद्युत क्षमता संवर्धन: 13,373 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। 16,448 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं और वर्ष 2031-32 तक पूरी होने का लक्ष्य है।

(ग) न्यूक्लियर क्षमता में वृद्धि: 8000 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता निर्माणाधीन है और इसे वर्ष 2031-32 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। 5600 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता आयोजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) नवीकरणीय क्षमता संवर्धन: 1,47,720 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता जिसमें 119,580 मेगावाट सौर (हाइब्रिड-सौर सहित) और 27,720 मेगावाट पवन (हाइब्रिड-पवन सहित) निर्माणाधीन है, जबकि 47,830 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता जिसमें 44,440 मेगावाट सौर शामिल है, आयोजना के विभिन्न चरणों में है और वर्ष 2029-30 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ङ) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का संवर्धन: दिनांक 30.06.2026 तक, 15,870 मेगावाट/95,220 एमडब्ल्यूएच पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, कुल 6,580 मेगावाट/39,480 एमडबल्यूएच क्षमता की पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) स्वीकृत हैं और अभी निर्माण शुरू किया जाना हैं। दिनांक 30.06.2026 तक, 15,754 मेगावाट/42,530 एमडबल्यूएच बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) क्षमता निर्माणाधीन है, 11,747 मेगावाट/38,425 एमडबल्यूएच अवार्ड किया गया है और 19,192 मेगावाट/67,574 एमडबल्यूएच बीईएसएस क्षमता निविदा चरण में है।

4.2 नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादन को बढ़ावा देना:

(i) दिनांक 30 जून, 2025 तक (जून, 2028 तक प्रतिवर्ष 25% की दर से छूट में क्रमिक कमी होगी) शुरू होने वाली परियोजनाओं, जून 2028 तक शुरू होने वाली सह-स्थित बीईएसएस परियोजनाओं, जून 2028 तक निर्माण कार्य अवार्ड होने वाली हाईड्रो पीएसपी परियोजनाओं, दिसंबर 2030 तक शुरू होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं तथा दिसंबर 2032 तक शुरू होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सौर एवं पवन विद्युत की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों को 100% माफ किया गया है।

(ii) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचेबल आरई (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(iii) नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (आरईआईए) नियमित रूप से आरई विद्युत की खरीद के लिए बोलियाँ आमंत्रित कर रही हैं।

(iv) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

(v) तीव्र आरई ट्रेजेक्टरी के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना के संवर्धन हेतु, वर्ष 2032 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।

(vi) नवीकरणीय विद्युत की निकासी हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई अंत: राज्यीय पारेषण लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान की गई है।

(vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना हेतु आरई विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम लागू की जा रही है।

(viii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय एवं पीवीटीजीआबादी/गांवों के लिए), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं।

(ix) नवीकरणीय ऊर्जा खपत को प्रोत्साहित करने के लिए, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रेजेक्टरी को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। आरसीओ, जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू होता है, का अनुपालन न करने पर शास्ति लगेगी।

(x) "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यनीति" जारी की गई है।

(xi) एक्सचेंजों के माध्यम से आरई की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) लॉन्च किया गया है।

(xii) सौर पीवी मॉड्यूल की आपूर्ति श्रृंखला के स्थानीयकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम प्रारंभ की गई है।

4.3 पारेषण:

अंतर्राज्यीय और अंतः राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता वृद्धि के समतुल्य समय सीमा में इसका कार्यान्वयन किया गया है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से वर्ष 2031-32 तक की दस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1,274 जीवीए अंतरण क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

उपर्युक्त के अलावा, विद्युत मंत्रालय ने पारेषण लाइनों के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के मुआवजे के भुगतान के संबंध में दिनांक 14.06.2024, 21.03.2025 और 15.12.2025 को दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें भूमि दर को प्रचलित बाजार दर से जोड़ा गया है। ये दिशानिर्देश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों की तुलना में अधिक मुआवजे की मांग करने वाले भूस्वामियों से उत्पन्न होने वाली आरओडब्ल्यू संबंधी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करते हैं।

4.4 वितरण:

(क) इसके अलावा, भारत सरकार ने गुणवत्ता और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की सहायता के लिए पहले दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और वर्तमान में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता किया है।

(ख) भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से जुलाई 2021 में आरडीएसएस की शुरुआत की है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और केंद्र सरकार से अनुमानित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 97,631 करोड़ रुपये है। स्कीम के तहत, वितरण यूटिलिटी (निजी क्षेत्र की यूटिलिटी को छोड़कर) को हानियाँ कम करने वाले अवसंरचना के कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। स्कीम के तहत हानि कम करने वाली अवसंरचना के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे देश में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

(ग) उपरोक्त के अलावा, विद्युत वितरण यूटिलिटी को उनके सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में सुधार करने में सहायता करने के लिए, आरडीएसएस के अलावा प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

i. राज्य सरकारों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% अतिरिक्त ऋण की अनुमति, जो उन द्वारा विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधार करने की शर्त पर है।

ii. निर्धारित शर्तों के तहत विद्युत वितरण यूटिलिटी के निष्पादन के आधार पर राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड।

iii. ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागतें शामिल की गई हैं।

iv. उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

(घ) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सघन प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत घंटे वित्त वर्ष 14 में 12.5 घंटे से बढ़कर वित्त वर्ष 26 में 22.6 घंटे हो गए हैं और शहरी क्षेत्रों में भी यह वित्त वर्ष 14 में 22.1 घंटे से बढ़कर वित्त वर्ष 26 में 23.4 घंटे हो गए हैं।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 783

अनुबंध-I

ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा आपूर्ति के संदर्भ में देश और उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत आपूर्ति की स्थिति।

वित्तीय वर्ष (एफवाई)	अखिल भारत				उत्तर प्रदेश			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्तित ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्तित ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5	1,44,251	1,43,050	1,201	0.8
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3	1,48,791	1,48,287	504	0.3
2024-25	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1	1,65,090	1,64,786	304	0.2
2025-26	17,07,493	17,06,985	508	0.0	163,501	163,475	26	0.0
2026-27 (जून, 2026 तक)	4,83,117	4,82,435	682	0.1	49,411	49,401	10	0.0

लो.स.अतारां.प्र.सं. 783

अनुबंध-II

उत्तर प्रदेश की औसत दैनिक आपूर्ति घंटे

माह	ग्रामीण		शहरी			आपातकालीन विद्युत कटौती
	बुंदेलखंड को छोड़कर (शेड्यूल 18 घंटे)	बुंदेलखंड (शेड्यूल 20 घंटे)	नगर पंचायत (शेड्यूल 21:30 घंटे)	तहसील मुख्यालय (शेड्यूल 21:30 घंटे)	जनपद मुख्यालय (शेड्यूल 24 घंटे)	
अप्रैल 2025	18:28	20:05	21:31	21:36	24:00	-
मई 2025	18:36	20:12	21:35	21:37	24:00	-
जून 2025	18:34	20:13	21:36	21:40	24:00	-
जुलाई 2025	18:19	20:05	21:30	21:30	24:00	-
अगस्त 2025	19:04	20:39	21:55	21:53	24:00	-
सितंबर 2025	18:37	20:19	21:44	21:41	24:00	-
अक्तूबर 2025	22:19	22:50	23:15	23:19	24:00	-
नवंबर 2025	18:41	20:19	21:37	21:36	24:00	-
दिसंबर 2025	18:21	20:03	21:31	21:31	24:00	-
जनवरी 2026	18:47	20:16	21:39	21:39	24:00	-
फरवरी 2026	18:52	20:24	21:44	21:46	24:00	-
मार्च 2026	19:01	20:27	21:53	21:50	24:00	-
अप्रैल 2026	19:21	20:40	22:02	21:52	24:00	
मई 2026	20:04	21:22	22:23	22:26	24:00	-
जून 2026	22:51	23:41	23:54	23:56	24:00	-
जुलाई 2026 (19-07-26 तक)	22:35	23:38	23:50	23:53	24:00	-
